

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 292]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 27 जून 2020 — आषाढ़ 6, शक 1942

वित्त विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 22 जून 2020

### अधिसूचना

क्रमांक एफ 2019-55-00017/वित्त/नियम/चार.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

### संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 29 में, टीप 3 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

“टिप्पणी 3. कार्यालय प्रमुख द्वारा, अभिदाता की सेवानिवृत्ति की तिथि से तीन माह पूर्व, सामान्य भविष्य निधि अंतिम भुगतान प्रकरण को तैयार किया जाना चाहिये तथा महालेखाकार के कार्यालय को ऑनलाईन प्रेषित किया जाना चाहिये। अभिदाता की मृत्यु/सेवा से त्यागपत्र देने/सेवा समाप्ति किये जाने/हटाये जाने के प्रकरण में, ऐसी घटना की तिथि से एक माह के भीतर सामान्य भविष्य निधि अंतिम भुगतान के प्रकरण को महालेखाकार के कार्यालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायेगा। सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान के प्रकरण को ऑनलाईन प्रस्तुत करने के पश्चात्, सभी सुसंगत दस्तावेजों को कार्यालय प्रमुख द्वारा भौतिक रूप से महालेखाकार के कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा।”

2. नियम 32 में, उप-नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

“(3) आहरित की गयी राशि का भुगतान केवल भारत में होगा। व्यक्ति, जिसे धनराशि का भुगतान किया जाना है, भारत में भुगतान प्राप्त करने हेतु अपनी स्वयं की व्यवस्था करेगा। अभिदाता, भुगतान का दावा करने के लिये निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन करेगा, अर्थात्:—

(एक) सेवानिवृत्ति के 3 माह पूर्व, अभिदाता अपने सामान्य भविष्य निधि अंतिम भुगतान प्रकरण को कार्यालय प्रमुख के माध्यम से, ऑनलाईन महालेखाकार के कार्यालय को भेजेगा। अभिदाता की मृत्यु/सेवा से त्यागपत्र देने/सेवा से पृथक्करण अथवा पदच्युत होने के प्रकरण में, सामान्य भविष्य निधि अंतिम भुगतान प्रकरण को घटना के घटित होने की तिथि से 1 माह के भीतर महालेखाकार को भेजा जायेगा;

- (दो) सामान्य भविष्य निधि अंतिम भुगतान प्रकरण को महालेखाकार को ऑनलाईन प्रेषित किये जाने के पश्चात्, सभी सुसंगत दस्तावेजों को भौतिक रूप से तत्काल प्रेषित किया जायेगा;
- (तीन) सामान्य भविष्य निधि अनुसूची प्रपत्र एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों की प्राप्ति के पश्चात्, ऐसे दस्तावेजों की प्राप्ति की तिथि से 1 माह के भीतर महालेखाकार कार्यालय डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त ई-सा.भ.नि.प्राधिकार पत्र जारी करेगा;
- (चार) सामान्य भविष्य निधि अंतिम भुगतान प्रकरण को समय पर महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित करने की जवाबदेही कार्यालय प्रमुख की होगी;
- (पांच) यदि महालेखाकार कार्यालय द्वारा ऑनलाईन आपत्ति दर्ज की जाती है तो ऐसी आपत्ति का निराकरण, कार्यालय प्रमुख द्वारा 15 दिवस के भीतर किया जायेगा;
- (छः) ई-सा.भ.नि.प्राधिकार पत्र ऑनलाईन प्राप्त होने के पश्चात्, कार्यालय प्रमुख, ई-बिल साफ्टवेयर में देयक तैयार करेगा तथा महालेखाकार कार्यालय से ऐसे पत्र प्राप्ति के 7 कार्य दिवस के भीतर कोषालय को ऐसे देयक को प्रस्तुत किया जायेगा।
- टीप- जब अभिदाता के खाते में जमा राशि, नियम 29, 30 या 31 के अधीन देय हो, तो लेखाधिकारी उप-नियम (3) में दर्शित रीति में राशि का त्वरित भुगतान अधिकृत करेगा।”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए.के. सिंह, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 22nd June 2020

#### NOTIFICATION

No. F- 2019-55-00017/Finance/Rules/IV.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh General Provident Fund Rules, namely:-

#### AMENDMENT

In the said rules,-

1. In rule 29, for Note 3, the following shall be substituted, namely:-

"Note 3. General Provident Fund final payment case should be prepared and sent to Office of the Accountant General online by the Head of office, three months prior from the date of retirement of subscriber. In the case of death/ resignation/ termination/ removal from service of the subscriber, the General Provident Fund final payment case shall be submitted to office of the Accountant General, necessarily within one month from the date of such incident. After online submission of General Provident Fund final payment case, all the relevant documents shall be sent to office of the Accountant General physically by the head of office."

2. In rule 32, for sub-rule (3), the following shall be substituted, namely:-

"(3) The amount withdrawn shall be paid only in India. The person to whom the amounts are payable shall make their own arrangements for receiving payment in India. The subscriber shall follow the following procedure to claim payment, namely:-

- (i) 3 months before the retirement, the subscriber shall send their General Provident Fund final payment case, online through the head of the office to the Accountant General. In case of Death of the subscriber/ resignation from service /segregation from service, or in the case of dismissal, the General Provident Fund final payment case will be send to the Accountant General within 1 month from the date of occurrence of the incident;

- (ii) After the General Provident Fund Final Payment Case is dispatched online to Accountant General, all the relevant documents shall be dispatched physically immediately;
  - (iii) After receiving General provident fund schedule form and other necessary records, the Accountant General's Office shall issue Digitally signed e-GPF Authority Letter within 1 month from the date of receiving such documents;
  - (iv) The head of the office will be responsible for dispatching the General provident fund final payment case to the Accountant General's office on time;
  - (v) If an objection is lodged online by the Accountant General's Office, such objection shall be resolved by the Head of Office within 15 days;
  - (vi) After receiving e - GPF Authority Letter online, the Head of Office shall prepare the bill in the e-bill software and present such bill to the treasury within the 7 working days of receiving such letter from the Accountant General Office.
- Note- When the amount standing to the credit of a subscriber has become payable under rule 29, 30 or 31, the Accounts Officer shall authorize prompt payment of the amount in the manner indicated in sub-rule (3)."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
A.K. SINGH, Joint Secretary.